न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
47/प्रा0पत्र/2019	01.07.2019	11.10.2019

बरजी बाई पत्नी रामरतन जाति धाकड़ निवासी ग्राम कोथ्या तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री नन्द सिंह सोलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:-

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:–

1. यह कि कृषि भूमि खसरा संख्या 481 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 1018 रकबा 2 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 22 बीघा वाके ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है। जमाबन्दी संवत 2062–65 के अनुसार उपरोक्त भूमि मे रतन लाल, कल्याण, मोहन का क्रमशः 1/3–1/3 हिस्सा निहित था।
2. यह कि प्रार्थीया ने पूर्व खातेदार कल्याण आत्मज धन्ना से उसका उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मे निहित 1/3 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 04.08.2005 को क्रय किया था। इसी प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि मे से खसरा संख्या 481 मे से मोहन आ0 धन्ना से रकबा 5 बीघा भूमि प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 22.06.2006 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी।
3. यह कि प्रार्थीया द्वारा मोहन आ0 धन्ना के हिस्से 1/3 मे से रकबा 5 बीघा भूमि अर्थात 50/219 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी गई। उस खरीदी गई भूमि का नामान्तकरण संख्या 932 दिनांक 04.02.2008 को तस्दीक किया गया। इस प्रकार मोहन का उक्त भूमि का हिस्सा प्रार्थीया को बेचने के बाद मोहन का हिस्सा 23/219 ही शेष रहा जिसका अंकन जमाबंदी संवत 2062–65 मे किया गया था। किन्तु कम्प्यूटर से निर्मित जमाबन्दी मे मोहन का हिस्सा 23/819 गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि वास्तव मे उसका हिस्सा बेचान के पश्चात 23/819 के बजाय 23/219 अंकित होना चाहिए था। इसके बाद संवत 2066–69 की जमाबन्दी संख्या 252 मे प्रार्थीया द्वारा खरीदी गई भूमि कल्याण का सम्पूर्ण हिस्सा 146/438 व मोहन के हिस्से मे से प्रार्थी द्वारा खरीदी गई 5 बीघा भूमि (50/219 हिस्सा) कुल भूमि मे से 100/438 इस प्रकार प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भुमि मे से कल्याण मोहन आ0 धन्ना से 246/438 हिस्सा खरीद किया गया था जो कि प्रार्थीया के नाम खातेदारी मे अंकित किया जाना चाहिए था किन्तु जमाबन्दी मे 196/438 हिस्सा ही प्रार्थीया के नाम खातेदार के रूप दर्ज कर रखा है। उक्त अंकन गणितीय त्रुटि है। जिसको इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

4. प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है। कि माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थीया का हिस्सा 196/438 दर्ज हो रहा है। उसके स्थान पर 246/438 दर्ज करवाकर इन्द्राज दुरूस्त करवाऐ।
5. यह कि प्रार्थीया ने दिनांक 21.06.2019 को तहसीलदार तालेडा को उपरोक्त इन्द्राज को दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे लेने से तहसीलदार तालेडा ने इन्कार कर दिया तथा इन्द्राज दुरूस्त करने से भी इन्कार कर दिया इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण दिनांक 21.06.2019 का उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।
6. यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।
7. यह कि प्रार्थना पत्र समुमित कोर्ट फीस पर मय तलबाने के अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर कृषि भुमि खसरा संख्या 481 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा जो वाके ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी मे स्थित है। कि वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज प्रार्थीया का हिस्सा 196/438 के स्थान पर 246/438 हिस्सा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो प्रार्थीया को उपलब्ध करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी की और से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में पार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 267 ग्राम बडून्दा संवत् 2070–73, नकल जमाबन्दी खाता सं0 290 ग्राम बडून्दा संवत् 2074–77, विक्रय पत्र कृषि भूमि बडून्दा दिनांक 04.08.2005 स्वयं का शपथ पत्र की प्रतियाँ पेश की।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी खाता सं0 290 ग्राम बडून्दा संवत् 2074–77, में बरजी बाई पत्नि रतन लाल हिं0 196/438 कोम धाकड सा0 कोथ्या अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज रिकार्ड है, अन्य दस्तावेजात विक्रय पत्र कृषि भूमि बडून्दा दिनांक 04.08.2005 से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का हिस्सा 246/438 होना पाया जाता है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि नकल जमाबन्दी खसरा संख्या 481 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा जो वाके ग्राम बडून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी में प्रार्थी का हिस्सा 196/438 हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही हिंस्सा 246/438 दर्ज रिकार्ड किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner